10-9-18 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित नहीं।
पत्रावली का अवलोकन किया गया जो दि० 29-8-16
से आज तक भी संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया
एवं तलबी हेतु तलबाना सम्मन लगभग 2 वर्ष
व्यतीत होने के उपरान्त भी पेश नहीं किये हैं
इससे जाहिर है कि वादी अपने वाद को आगे
को चलाना नहीं चाहता है अत: वादी का वाद
O 9 R-5 में खारिज किया जाता। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner